मूल्य/धर्मार्थ : 1 पैसा
(केवल बहाईयों में वितरण हेतु)

बहाई समाचारपत्र

वर्ष : 56 अंक 09 प्रकाशन : प्रत्येक माह की 8 तारीख
सितम्बर 2020 बहाई वर्ष : 177

विश्व न्याय मन्दिर

निष्ठावानों के समुदाय द्वारा निभाए जाने वाले अनिवार्य दायित्व विश्व में व्याप्त भ्रांति, अविश्वास और अनिश्चितता के वातावरण में अब और अत्यावश्यक हो गए हैं। वास्तव में, मित्रों को चाहिए कि वे एक ऐसा प्रदीप जलाने के लिए हर अवसर का प्रयोग करें जो मार्ग को प्रकाशित कर सके और जिससे चिन्तातुर लोगों को आश्वासन, निराशजनों को आशा प्राप्त हो सके।

—रिज़वान 2017

बिहार की गतिविधियाँ

• कोविड–19 वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पटना के बहाईयों ने काजीपुर, राजेन्द्र नगर एवं पटना सिटी में लगभग 600 जरूरतमंद परिवारों एवं राहगिरों के बीच मास्क वितरित किये। साथ ही, उन्हें संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस सामाजिक कार्य में अनेक बहाई मित्रों ने अपना सहयोग प्रदान किया। ज्ञातव्य हो कि यह मास्क गुवाहाटी के बहाई मित्रों द्वारा स्थानीय आध्यात्मिक सभा, पटना को उपलब्ध कराये गये थे।

• अलौली क्लस्टर के सिसवा समुदाय में रूही पुस्तक–1 एवं 3 के अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विदित हो कि रूही पुस्तक–1 की समाप्ति के उपरांत सभी प्रतिभागियों के घरों में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया तथा रूही पुस्तक–3 की समाप्ति के उपरांत दो नये बच्चों की कक्षाएँ प्रारंभ की गईं।

• कोरोना महामारी के कारण बच्चों एवं किशोरों की बाधित अकादमिक शिक्षा में मदद करने हेतु एक ऑनलाइन संस्थागत परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषीकृत रूप से यह परामर्श किया गया कि कैसे इनकी स्कूली शिक्षाओं में मदद की जाये और इसी के मद्देनज़र यह योजना बनाई गई कि बिहार के 35 समुदाय के 48 मौहल्लों में स्थानीय संस्था एवं एजेंसियों के सहयोग से उक्त दिशा में पहल की जायेगी। विदित हो कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय संस्था एवं एजेंसी के मित्रों ने अभिभावकों एवं समुदाय के लोगों के साथ इस दिशा में अर्थपूर्ण वार्तालाप आरंभ की। इसके परिणामस्वरूप बिहार के 22 क्लस्टर के 43 समुदायों में 149 कक्षाएँ संचालित हो रही हैं, जिसमें 1702 बच्चे एवं किशोर भाग ले रहे हैं। इन बच्चों और किशोरों को उनके अकादमिक शिक्षा में मदद कर रहे शिक्षकों एवं अनुप्रेरकों के साथ–साथ चलने के लिए एक 12 सदस्यीय दल का भी गठन किया गया है जो इस पहल को सहयोग, संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान कर इनमें गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि



पटना के मित्रगण जरूरतमंद लोगों में मास्क वितरित करते हुए

के लिए प्रयास करेंगे। ज्ञातव्य हो कि इन कक्षा में कोविड–19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपायों का भी ध्यान रखा है।

• कोविड–19 वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी के कारण समाज की भौतिक एवं आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने; विशेषकर सामुदायिक जीवन को बनाये रखने व सामूहिक उपासना की संस्कृति

शेष पृष्ठ 4 पर

इस अंक में

झारखण्ड में आयोजित गतिविधियों की झलक

जैसे–जैसे अब समय अनुकूल हो रहा है, वैसे ही समुदायों में परामर्श और अध्ययन के मनोरमीय परिदृश्य दिखने लगे हैं। दिन–प्रतिदिन भक्तिपरक सभाओं के लिए घरों के द्वार खुल रहे हैं। फिर वही मुस्कान धीरे–धीरे हर वर्ग के मुख पर देखने को मिल रही है। पुरानी बंद पड़ी गतिविधियाँ जैसे बहाई बाल समूह, किशोर समूह, अध्ययनवृत्त समूह फिर से धीरे–धीरे अपना स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से सुरक्षित दूरी और मास्क जैसे अनिवार्य चीजों को ध्यान में रखते हुए पालन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में जमशेदपुर के बिरसानगर समुदाय में 26 जुलाई को संचालित एक बहाई बाल समूह जिसने दोबारा बच्चों को उल्लासित किया। बच्चों ने अपनी प्रसन्नता सुंदर चित्रकला के माध्यम से प्रस्तुत की। वहीं गोला क्लस्टर में भी सावधानियों को अपनाते हुए अध्ययनवृत्त समूह का आयोजन किया गया। इसी प्रकार प्रत्येक क्लस्टरों की संस्था एवं एजेंसियाँ इस दिशा में अपनी ऊर्जा को समर्पित कर रही हैं।



गोला क्लस्टर में आयोजित स्टडी सर्कल में भाग लेने वाले प्रतिभागी

• 8 अगस्त 2020 को आसनबनी क्लस्टर के आसनबनी समुदाय में कोष में दान पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 7 मित्र शामिल हुए। इस बैठक में उन्होंने दान से

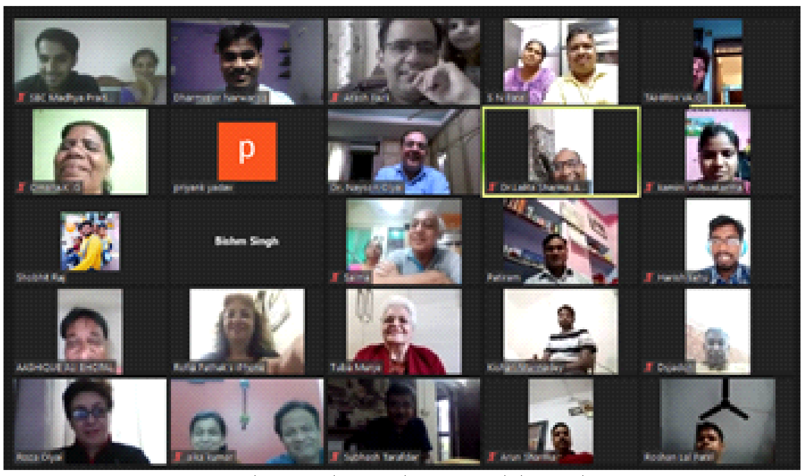


आसनबनी क्लस्टर में बहाई कोष पर हुई बैठक में अध्ययन करते हुए प्रतिभागीगण

शेष पृष्ठ 3 पर

मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों की झलक

• मध्यप्रदेश में, राज्य बहाई परिषद द्वारा 2 अगस्त 2020 को एक राज्य स्तरीय ऑनलाइन कोष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से 65 से भी अधिक मित्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के कोषाध्यक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही, उन्होनें मित्रों के बीच, आध्यात्मिक समृद्धि को किस प्रकार बढाया जा सकता है उसके लिये बहाई पवित्र लेखों से तथा बहाई साहित्य से लिये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं से तैयार किया गया पावर प्वायंट को साझा किया। परिषद कोषाध्यक्ष द्वारा मित्रों को, परिषद द्वारा तैयार किया गया वार्षिक बजट 2020–21 को आत्मनिर्भर किस प्रकार किया जा सकता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर परामर्श किया।



ऑनलाइन कोष सम्मेलन में भाग लेने वाले मित्रगण

• सुसैरा समुदाय में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नियमित रूप से भक्तिपरक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वहां के स्थानीय मित्र बहुत ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं और अपने गांव में विकास प्रक्रिया को बनाये रखने पर गहन परामर्श करते हैं।



सुसैरा में आयोजित भक्तिपरक बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी

• सुसैरा क्लस्टर की एक युवती का कुछ समय पहले जौरा क्लस्टर के एक युवा के साथ बहाई विवाह सम्पन्न हुआ था। जो कि सुसैरा क्लस्टर के चक्कगावं में सामुदायिक विद्यालय में बच्चों के प्रशिक्षण में अपना योगदान देती थी। साथ ही समुदाय की अन्य बहाई गतिविधियों में भी वह पूरा सहयोग करती थी। शादी होने के बाद भी वह जब भी अपनी ससुराल से सुसैरा क्लस्टर में आती है तो वह वहां के स्थानीय मित्रों को बहाई गतिविधयों के संचालन में पूर्ण सहयोग करती है। जिन्होंने अपनी ससुराल में शादी के तुरंत बाद ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ अध्ययनवृत कक्षा का आयोजन किया और उसे पूरा भी किया। उसके बाद उन्होंने वहां के कुछ मित्रों को उनके घरों में भक्तिपरक बैठकों का आयोजन करने में पूरी मदद की। इसके साथ ही उनके द्वारा अभी वर्तमान समय में वहां के किशारों के लिये एक किशोर कार्यक्रम की शुरूआत की है जो नियमित रूप से चलाया जा रहा है। युवती के इस सेवाभाव को देखने के बाद उसके परिवार वाले उनको इस सेवा कार्य के लिये पूरा सहयोग करते हैं।

• इन्दौर स्थानीय आध्यात्मिक सभा के साथ विश्व न्याय मंदिर से प्राप्त पत्र 9 मई 2020 का अध्ययन इन्दौर क्षेत्र के सहायक मण्डल सदस्यगण के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें परिषद के सचिव व अन्य सदस्य भी शामिल रहे। इस अध्ययन के दौरान न सिर्फ स्थानीय सभा इन्दौर ने भाग लिया बल्कि समुदाय के कई मित्र इस महत्वपूर्ण अध्ययन में उपस्थित रहे। पत्र में मौजूद महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इन दो दिनों के दौरान विस्तार से परामर्श किया गया। साथ ही, इस वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये समुदाय में चल रही विकास की गतिविधियों को कैसे और सशक्त किया जाये तथा इन्दौर क्लस्टर के तीन क्षेत्रों में किस प्रकार गतिविधियों को और मजबूत किया जाये, इस विषय पर भी परामर्श किया गया।

इसके इलावा पड़ोस स्तर पर सेवा दे रहे मित्रों के परिवारों को किस प्रकार भौतिक एवं आध्यात्मिक जरूरत से संबंधित राहत सामग्री एवं अन्य प्रकार की चीजों को कैसे उपलब्ध कराया जाये उस पर चर्चा की। इस महत्वपूर्ण कार्य को और बेहतर बनाने के लिये स्थानीय सभा इन्दौर ने राहत कोष तैयार किया, जिसमें इन्दौर बहाई समुदाय के मित्रों ने खुल कर अपना योगदान किया।



जौरा क्लस्टर में आयोजित गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चे

इन्दौर क्लस्टर में वर्तमान समय में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समूह विकास समिति एवं स्थानीय सभा के पूर्ण सहयोग से पड़ोस स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही वहां की स्थानीय सभा ने समुदाय के मित्रों की एक डायरेक्ट्री तैयार की है, जिसमें समुदाय के प्रत्येक बहाई की जानकारी एकत्रित है। समिति की योजना है कि वह समुदाय के प्रत्येक सदस्य के साथ कैसे सम्पर्क स्थापित करें और उन्हें विकास प्रक्रिया में योगदान देने के लिये प्रेरित करें।



इंदौर में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में भाग लेने वाले कुछ मित्रगण

कोरोना महामारी के दौरान पश्चिम बंगाल की गतिविधियों का स्वरूप

मार्च 2020 के बाद से, जब दुनिया में कोविड–19 महामारी देखी गई थी, तो पश्चिम बंगाल और पूरे भारत में तालाबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो गया। कुछ समय से हम सोच रहे हैं कि कैसे अपनी सभी गतिविधियों को अक्षुण्ण रखा जाए। यह उस समय था जब विश्व न्याय मन्दिर ने हमें अपने संदेशों में एक नई दिशा दिखाई कि हमें ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहिए। हालाँकि हम कुछ हफ्तों से चिंतित थे, हम धीरे–धीरे सभी गतिविधियों के साथ आगे बढ़ने में सक्षम थे। सलाहकार के साथ लगातार परामर्श और विश्व न्याय मन्दिर के संदेशों के अध्ययन के उपरांत वीडियो कॉल के माध्यम से भक्ति बैठकें शुरू कीं। इतना ही नहीं, प्रभातकालीन प्रार्थना और सामुदायिक भक्ति बैठकें भी शुरू हुईं। प्रशासनिक एजेंसियों और क्लस्टर स्तर की एजेंसियों ने भी अपनी चर्चा शुरू की।

तालाबंदी की स्थिति में जब सरकार के नियमों में धीरे–धीरे छूट मिलने लगी तब बच्चों की कक्षाएं, किशोर गतिविधियाँ, अध्ययनवृत कक्षायें तुरंत शुरू हुईं और जहां नियमों में छूट नहीं दी गई वहां इनमें से कुछ गतिविधियाँ वीडियो कॉल के माध्यम से जारी हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कई स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं भी कोविड–19 के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में सक्षम थीं। इसके अलावा, कुछ स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं ने अकादमिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने और हाथ से बने मास्क के वितरण के लिए अपनी सहायता प्रदान करना शुरू किया।

ऐसी स्थिति में, जब तालाबंदी खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो पूरे पश्चिम बंगाल में गतिविधियों का उच्च स्तर देखा गया। धीरे–धीरे सभी गतिविधियों की संख्या बढ़ने लगी। नई गतिविधियों के अलावा, अस्थायी रूप से बंद की गई गतिविधियाँ भी शुरू हुई। सलाहकार के मार्गदर्शन पर, परिवार पंजीकरण शुरू हुआ। पहले से ही एक क्लस्टर ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

अभी हाल ही में वीडियो कॉल पर आयोजित बैठक में बहाई कोष पर चर्चा हुई, जिसमें सलाहकार और राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के कोषाध्यक्ष ने भाग लिया। इस चर्चा से सभी प्रेरित हुए। योजना के अनुसार, राज्य कोषाध्यक्ष वर्तमान में कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से कई स्थानीय आध्यात्मिक सभा सदस्यों के साथ बहाई कोष पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में वे कोष भेजने के लिए उत्सुक हो गए हैं। विशेष रूप से पहचाने गए गाँव में कोष शिक्षा को फैलाने के लिए शिक्षा प्रक्रिया में कुछ दोस्तों को शामिल करने के लिए प्रक्रिया जारी है। जो बाद में उस पहचाने गए गाँव में बहाई कोष के बारे में चर्चा करना जारी रखेंगे।

वर्तमान गतिविधियाँ वास्तव में उप–क्षेत्रीय विकास समन्वयक, क्लस्टर विकास समन्वयक और क्लस्टर विकास समितियों के संयुक्त सहयोग के कारण सफल हो रही हैं। राज्य बहाई परिषद उन्हें प्रोत्साहित करना जारी रखती है और वे अग्रिम में अपनी मासिक योजनाएँ भी बनाते हैं ताकि वे अपने मासिक लक्ष्यों को पूरा कर सकें। यही नहीं, राज्य बहाई परिषद और सहायक बोर्ड के सदस्यों के संयुक्त प्रयासों से, स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा जा रहा है। इस मुद्दे पर परिषद और सहायक बोर्ड के सदस्यों के बीच संयुक्त चर्चा के मद्देनजर योजना को लागू किया गया था। वर्तमान स्थिति में कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से समूहों की गतिविधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

निवेदन

प्रिय मित्रों, अपने समुदायसमूह में होने वाली मूल गतिविधियों की रिपोर्ट तथा प्रेरणादायक घटनायें फोटोग्राफ के साथ हमें समय–समय पर भेजते रहें, जिससे की हम उन्हें बहाई समाचार में प्रकाशित कर सकें।

धन्यवाद !

झारखण्ड में आयोजित गतिविधियों की झलक

पृष्ठ 1 का शेष

सम्बंधित परिपत्र और रोचक कहानियों का भी अध्ययन किया। इस बैठक के मुख्यतः दो उद्देश्य थे, प्रथम दान के विषय में अपनी समझ को और ज्यादा बढ़ाना तथा दान हेतु अधिक से अधिक मित्रों को शिक्षित करना। अध्ययन के उपरांत मित्रों ने दान से सम्बंधित एक योजना बनाई की प्रत्येक मित्र कम से कम पाँच बहाइयों से मिलकर दान पर वार्तालाप करेंगे।



आसनबनी क्लस्टर में आयोजित सेवा कार्य के दौरान श्रमदान करने वाले प्रतिभागी

• 14 अगस्त 2020 को आसनबनी क्लस्टर के किशोर समूह के संयोजक के नेतृत्व में सेवा कार्य संपन्न हुआ। किशोर एवं युवाओं ने मिलकर परामर्श किया कि वे अपने समुदाय आसनबनी में कोविड–19 महामारी एवं इसके बचाव से सम्बंधित जागरूकता अभियान और स्वच्छ वातावरण बनाये रखने हेतु सफाई अभियान का आयोजन किया। एक दिन पूर्व यह विचार कुछ किशोरों के मन में आया और उन्होंने इसे अपने अनुप्रेरक से साझा किया और फिर उन्होंने एक सामूहिक विचार बनाने हेतु अपने संयोजक से परामर्श किया। इस प्रकार इस सोच में कई मित्र शामिल हुए। पूर्व दिन की संध्या को एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रचार हेतु पोस्टर एवं नारों की तैयारी की। साथ ही दो दल बनाये जो सफाई और जागरूकता का कार्य करेंगे। मित्रों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। हर्ष की बात तो यह थी की अभिभवकों ने भी उनके इस प्रयास को प्रोत्साहित किया। इस पूरे अभियान में सुरक्षित दूरी एवं मास्क एवं अन्य बचाव के सभी नियमों का पालन किया गया। मित्रों ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि स्वच्छता और सावधानियाँ ही एक मात्र इस महामारी से और अन्य बीमारियों से लड़ने का मूल मंत्र है। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए की हम इन बातों पर अपना ध्यान जरूर केंद्रित करे।



पश्चिम बंगाल के कमरहट्टी के श्री आफताब सोहेल और निमता की सुश्री तनुश्री पॉल का विवाह स्थानीय आध्यात्मिक सभा कमरहट्टी के तत्वावधान में बहाई विधिविधान के अनुसार 16 अगस्त 2020 को सम्पन्न हुआ।

Regd. No. DELHIN / 1966 / 04204
New Delhi P.S.O.
Delhi Postal Regd No. DL (ND) 11/6036/2018-19-20
Licensed to post without pre-payment No. U (C)-52/2018-19-20

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के संबंध में बहाउल्लाह का विधान

बहाई अंत्येष्टि–क्रिया के विधानों का सिंहावलोकन और इनकी उपयुक्तता

समाधिस्थल, शव–कक्ष और मक़बरा में भूमिगत करना

विश्व न्याय मंदिर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अनुयायी प्रथा का अनुपालन करते हुये ज़मीन में खोदी गई समाधि में सीधे शव–पेटिका को रख दें और उसे मिट्टी से ढँक दें, बजाय इसके कि समाधिस्थल पर खोदी गई ज़मीन के चारों ओर ईट और सीमेंट की दीवार खड़ी कर उसके अंदर शवपेटिका को रखा जाये। यह परिवार के निर्णय पर निर्भर करता है...

(विश्व न्याय मंदिर की ओर से एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को 29 जुलाई 1984 को लिखे गये पत्र से)

विश्व न्याय मंदिर ने पवित्र लेखों में कोई ऐसा संदर्भ नहीं प्राप्त किया है कि शव–पेटी को किसी शव–कक्ष के ताखे अथवा शेल्फ पर रखा जाये और चूँकि इस सम्बन्ध में विश्व न्याय मंदिर अभी कोई नियम नहीं बनाना चाहता, इसलिये अनुयायी अपने विवेक से काम करें।

(विश्व न्याय मंदिर द्वारा एक अनुयायी को 9 अप्रैल 1986 को लिखे गये पत्र से)

एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को, जिनके देश में समाधिस्थल के लिये जमीन दुर्लभ है, विश्व न्याय मंदिर ने उनके पत्र के उत्तर में सुझाव दिया है कि सभा को चाहिये कि वैसे क्षेत्रों में ज़मीन का एक हिस्सा खरीद लिया जाये जहाँ समाधिस्थल की ज़रूरत है और वहाँ एक मकबरा बनाया जाये, जिसमें अनेक शवपेटिकायें रखी जा सकें। यह भी संकेत दिया गया है कि शवपेटिका एक के ऊपर एक रखी जा सकती हैं और वहाँ एक छोटा किन्तु आकर्षक बगान बनाया जाये तो उत्तम होगा।

(विश्व न्याय मंदिर द्वारा एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को 15 जून 2008 को लिखे एक पत्र से)

भूमिगत करने से सम्बन्धित बहाई विधानों में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि विभिन्न तलों में समाधि न बनाई जाये और न ही इसकी मनाही है कि शव–कक्ष को ज़मीन की सतह से ऊपर रखा जाये।

(विश्व न्याय मंदिर की ओर से एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को 19 अप्रैल 2016 को लिखे एक पत्र से)

विश्व न्याय मंदिर ने आपका ई–मेल प्राप्त किया... जिसमें पूछा गया है कि बहाई विधानों के अन्तर्गत क्या इस बात की अनुमति है कि एक ही समाधि में दो शवों को समाधिस्थ किया जाये...।

प्रिय धर्मसंरक्षक ने कहा है, "यह उत्तम और अधिक उचित है कि प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिये एक समाधि हो", किन्तु विश्व न्याय मंदिर सुझाव देता है कि यह पसंद की बात है और यह बाध्यकारी नियम के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। समाधि कैसी बनायी जाये, इस सम्बन्ध में विश्व न्याय मंदिर ने कोई नियम नहीं बनाया है और न ही फिलहाल समाधि सम्बन्धी ऐसे नियम बनाना चाहता है। इसलिये, यह मित्रों पर निर्भर करता है कि वे कैसी समाधि बनायें। किन्तु, जब राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि क्या एक समाधि में दो मृत शरीरों को दफन किया जा सकता है तब यह राष्ट्रीय सभा के अपने विवेक पर निर्भर करता है। (विश्व न्याय मंदिर की ओर से एक अनुयायी को 20 सितम्बर 2016 को लिखे गये एक पत्र से)

क्रमशः

बिहार की गतिविधियाँ

पृष्ठ 1 का शेष

को विकसित करने के निहितार्थ विश्व न्याय मंदिर के संदेशों एवं राष्ट्रीय सभा द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में अपने महाद्वीपीय सलाहकार के साथ राज्य बहाई परिषद बिहार की एक बैठक में सर्वप्रथम सभी स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की वास्तविकताओं का अध्ययन तथा उनकी क्षमताओं का विश्लेषण कर उसे श्रेणीबद्ध किया गया। साथ ही, इस विधा पर परामर्श किया गया कि कैसे अग्रणी स्थानीय आध्यात्मिक सभा–हथवन, हरगावॉं, तेतरावॉं, मरची एवं बहादुरपुर के एक या दो समुदाय को प्रार्थना सभा को लेकर संतृप्त किया जाये। तदोपरांत इस आशय की विस्तृत जानकारी संबंधित सहायक मंडल सदस्यों के साथ साझा किया गया व उक्त सभी स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के साथ परिषद ने अलग से एक बैठक आयोजित की। बैठक में परामर्शोपरांत यह सुनिश्चित किया गया कि हथवन समुदाय गया, जिसके प्रत्येक टीम में स्थानीय सभा के सदस्य के अलावा क्लस्टर व उपक्षेत्रीय संयोजक एवं विकास सहयोगी, शिक्षक, सहशिक्षक, अनुप्रेरक तथा क्लस्टर विकास समिति के सदस्यगण शामिल थे। ज्ञातव्य हो कि प्रत्येक टीम में दो–दो लोग शामिल थे, जिसे परिषद एवं सहायक मंडल सदस्यों द्वारा सतत् प्रोत्साहन प्रदान किया गया। प्रत्येक टीम के द्वारा प्रतिदिन तीन से चार घंटे तक एक विशेष गृह–भ्रमण अभियान चलाकर नये घरों में प्रार्थना सभा आयोजित किये गये तथा प्रत्येक गृह–स्वामी को प्रार्थना, निगूढ़ वचन एवं नई फुलवाड़ी आदि पुस्तक उपहारस्वरूप भेंट किये गये तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे ईश्वर की अचूक सम्पुष्टि प्राप्त हेतु अपने–अपने घरों में नियमित रूप से प्रार्थना सभा आयोजित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, मित्रों की यह भी योजना है कि वे 26 समुदाय



सिसवा समुदाय में आयोजित अभियान के प्रतिभागी

का ठाकुरबाड़ी टोला, कामास्थान तथा महाराज टोला; हरगावॉं समुदाय का डीह टोला तथा सलेमपुर टोला; तेतरावॉं समुदाय का दक्षिण व पुरवारी टोला; मरची स्थानीय सभा का कोठिया समुदाय तथा बहादुरपुर (बखरी) स्थानीय सभा का वार्ड संख्या–1 को प्रार्थना सभा को लेकर संतृप्त किया जाये।

योजना के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय सभा के स्तर पर अलग–अलग टोला के लिए अलग–अलग टीम का गठन किया के 35 मौहल्लों में परिवार के स्तर पर बहाई पंजीकरण का कार्य संपादित करेंगे तथा 35 समुदाय के 48 मौहल्लों में बच्चों एवं किशोरों के अकादमिक शिक्षा या ट्यूटोरियल कक्षा में मदद करेंगे। आगामी दो चक्रों में वे 190 ऐसे मानव संसाधन तैयार करेंगे जो उनके समुदाय एवं पड़ोस के समुदाय में स्थानीय संस्था एवं एजेंसी को मदद करेगी तथा 14 नये क्लस्टर तृतीय मील के पत्थर तथा 6 नये क्लस्टर द्वितीय मील के पत्थर को पार करेंगे।

कुल पृष्ठ संख्या–4

बहाई समाचारपत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित फार्म – 4, नियम 8

समाचार का नाम : बहाई समाचारपत्र
रजि नं. : DELHIN / 1966 / 4204 यू नं. (C)-52/2018-19-20
डी.एल. DL (ND) 11/6036/2018-19-20
प्रकाशक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
(बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1)
प्रकाशन स्थान : बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1

मुद्रक का नाम : सुशील कुमार (भारतीय)
बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–1
मुद्रण स्थान : श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110020
उन व्यक्तियों के नाम जो समाचारपत्र स्वामी हों : राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को इसका स्वामित्व प्राप्त है, जो सोसायटीज़ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है।

Licenced to post without Pre-Payment Posted at CPSO New Delhi on 10/11.09. 2020
Sender's Address:
6, Shrimant Madhavrao Scindia Marg.
New Delhi - 110 001 - INDIA

स्वामी, भारत के बहाईयों की राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा, जो सोसायटीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है, के लिए प्रकाशक, मुद्रक : सुशील कुमार के द्वारा श्री मंगलम प्रिंटर्स, एफ–25, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–1, नई दिल्ली–110 020 से मुद्रित एवं बहाई भवन, 6 श्रीमंत माधव राव सिंधिया मार्ग, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित (सम्पादक : सुशील कुमार)